हरियाणा सरकार
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग
नव सचिवालय भवन हरियाणा, सैक्टर–17, चण्डीगढ़ 160017

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

सेवा में

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकूला।

यादी क्रमांकः 4997–व–2–2023/7524
चण्डीगढ़ दिनांक 20.11.2023

विषयः– **Diversion of 0.945 Hactare (2100 meters) of forest Land for laying OFC of Underground OFC by Jio Digital Fiber Private Limited, Ground Floor, Reliance House RK4 Square, Building No 4 DLF Cyber City, Phase II, Gurugram, Haryana 12202, Starting near from Magh auto agency to sihag Childern Hostital to Metro Hospital to Amiritsar Hostital to Khanna Skin Care 170 Meters on & from Meals to Baja Hotel to Hotal Adersh (180 Meters) & from Jaiya Footwear to Garg Stationary to Kocher Steel to Pizza Treats to HFDC Bank up to Aakash institute (310 meters) & from shiv Chowk to Makkar Vaishno Bhaba to MI Store Sirsa to Narula Plywood upto RoRi gate Store (340 metres) No Guru Govind Singh Marg 9F ssa Sirs 0111) and from M/s Vishnu Paint to Brar Automobils to sirsa paint & lime store towards Bajaj Sweets & Bakery to Agarwal feed store to unique Cife to vm Shuttering store up to friends colony on Hissar (695 meters) and again starting nrear abma motors on Hissar Road (315 Meters) (fsa sira 0115) in Sirssa City under Forest Division & District Sirsa, Haryana.**
(ONLINE PROPOSAL No.FP/HR/OFC/154299/2022).

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 1639 दिनांक 29.09.2023।

उपरोक्त विषय पर संदर्भित प्रस्ताव में अनुमोदन उपरांत मुख्य वन सरक्षक हरियाणा पश्चिमी परिमण्डल, हिसार द्वारा Jio Digital Fibre Private Limited के अनुरोध पर सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.945 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त para 4.2 in chapter 4 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarification)-2019 सैद्धान्तिक स्वीकृति **(स्टेज–1)** निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जानी है :–

1. (I) यूजर एजेंसी अपनी कम्लाईंस रिर्पोट बनाकर तथा एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र भी साथ सलंग्न करेगी।
   1(II) "अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें।
   (II) अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।
2 (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
   (ii) प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा
   (iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्षाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देष्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(iv) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(v) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(vi) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(vii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(viii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(ix) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(x) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xi) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।

(xii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xiii) खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जे0सी0बी0 का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(xiv) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xv) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।

(xvi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xvii) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines में 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

अधीक्षक
कृते: अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग।

प्रतिलिपिः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्री कार्यालय, बेज नं0 24–25, सैक्टर–31 ए, चण्डीगढ़।
2. वन मण्डल अधिकारी, सिरसा।